भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 84

(जिसका उत्तर सोमवार, 04 दिसंबर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया)

एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल)

84. डॉ. तालारी रंगैय्याः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कारपोरेट कार्य मंत्रालय में एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) के कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;
(ख) इसके क्या परिणाम रहे हैं और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और
(ग) एक्सबीआरएल के लाभ क्या हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ग): कंपनी (एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज में दस्तावेजों और प्ररूपों की फाइलिंग) नियम, 2015 (एक्सबीआरएल नियम) के नियम 2 के उप-नियम (घ) के अनुसार, "एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज" (एक्सबीआरएल) का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत कंपनियों द्वारा वित्तीय जानकारी व्यक्त करने, रिपोर्ट करने या फाइल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में संचार के लिए एक मानकीकृत भाषा से है। एक्सबीआरएल नियमों के नियम 3 के अनुसरण में, कंपनियों के निम्नलिखित वर्ग को अधिनियम की धारा 137 के तहत अपने वित्तीय विवरण और अन्य दस्तावेज ई-प्ररूप एओसी -4 एक्सबीआरएल में रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना अपेक्षित है:

(i) भारत में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध कंपनियां और उनकी भारतीय सहायक कंपनियां;

(ii) पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक की चुकता पूंजी वाली कंपनियां;

(iii) एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियां;

(iv) वे सभी कंपनियां जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित है।

इसी प्रकार एक्सबीआरएल नियम के नियम 4 के अनुसरण में, एक कंपनी जिसे अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (6) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत केंद्र सरकार को लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने करना अपेक्षित है, वह कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के तहत विनिर्दिष्ट ई-प्ररूप सीआरए -4 में एक्सबीआरएल टैक्सोनॉमी का प्रयोग करके ऐसी रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज फाइल करेगी।

वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनियों द्वारा कुल 71,663 वैध ई-प्ररूप एओसी-4 एक्सबीआरएल फाइल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-23 के दौरान एक्सबीआरएल प्ररूप में कंपनियों द्वारा 9,943 वैध लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट (सीआरए-4) फाइल की गई हैं।

एक्सबीआरएल, बिजनेस रिपोर्टिंग और विश्लेषण के सभी चरणों में लाभ प्रदान करता है। डाटा के तीव्रतर, अधिक विश्वसनीय और अधिक सटीक हैंडलिंग के अतिरिक्त, एक्सबीआरएल बेहतर विश्लेषण और सूचना और निर्णय लेने की बेहतर गुणवत्ता का लाभ भी प्रदान करता है। कंपनियां लागत बचाने और व्यापार और वित्तीय जानकारी को संभालने में दक्षता में सुधार करने के लिए एक्सबीआरएल का उपयोग कर सकती हैं। एक्सबीआरएल का उपयोग करके, कंपनियां डाटा संग्रह की प्रक्रियाओं को स्वचालित कर सकती हैं। एक बार एक्सबीआरएल में डाटा इकट्ठा होने के बाद, विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट उत्पन्न की जा सकती हैं। डाटा सत्यापन और समीक्षा बहुत अधिक कुशलतापूर्वक और उपयोगी रूप से की जा सकती है।

******